70वें संविधान दिवस के अवसर पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में

आयोजित समारोह

26 नवम्बर, 2019

संसद भवन के ऐतिहासिक केन्द्रीय कक्ष में आज हम सब भारतीय संविधान की 70वीं वर्षगाँठ के ऐतिहासिक अवसर पर एकत्रित हुए हैं। सत्तर वर्ष पूर्व आज ही के दिन 26 नवम्बर, 1949 को इसी केन्द्रीय कक्ष में भारत के संविधान को अंगीकार (adopt) किया गया था। आज ही के दिन एक नया इतिहास रचा गया था जिनकी मधुर स्मृतियां आज भी हमारे मन में ताजा हैं।

आज के पावन अवसर पर मैं भारतीय संविधान को शत-शत नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ उन सभी संविधान निर्माताओं का, जिनके परिश्रम और अप्रतिम योगदान से हमारा अनूठा संविधान अस्तित्व में आया।

आज से सात दशक पूर्व जब हमें स्वतंत्रता मिली थी तब हमारे सामने भारत के निर्माण की ढेरों चुनौतियां थीं।

तब उस चुनौती को देश की जनता ने स्वीकार करते हुए भारत की संविधान सभा को इस महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी दी थी। इसके बाद डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, डॉ.भीम राव अम्बेडकर एवं संविधान सभा के अन्य मनीषियों के अथक प्रयासों से सम्पूर्ण भारत की आशाओं और उम्मीदों के प्रतीक एक महान संविधान का निर्माण हुआ।

हमारा संविधान भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विकास की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है। यह हमारे आदरणीय पूर्वजों की दिव्य संकल्पना का शंखनाद है। इसीलिए यह पवित्र है और श्रद्धा का पात्र भी है।

बीते सत्तर सालों में देश की विकास यात्रा में हमारे संविधान ने विशिष्ट भूमिका निभाई है। लेकिन इन सात दशकों में हमारे सामने नई चुनौतियां और अवसर भी आए हैं।

तेजी से बदलती अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में हमारा संविधान आज भी हमारा संबल है। नई प्रौद्योगिकी, सूचना तकनीक से उत्पन्न समस्याओ से निपटने में भी हमारा यह संविधान ही हमें मार्गदर्शन प्रदान करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन इसके लिए हमें एक नये दृष्टिकोण से संविधान को देखना होगा। हम संविधान दिवस को कर्त्तव्य पर्व के रूप में मनायें और एक नई शुरुआत करें।

संविधान ने हम सबको मौलिक अधिकारों के रूप में शक्तियां दी हैं। लेकिन हमें यह सदैव याद रखना चाहिए कि मौलिक अधिकारों के साथ संविधान ने हमारे लिए कुछ मौलिक कर्त्तव्य भी निर्धारित किए हैं।

हम सभी भारतवासी यदि संविधान के अनुच्छेद 51क में दिए गए इन मौलिक कर्त्तव्यों को अपने रोजमर्रा के जीवन और आचरण में उतारें तो हम बहुत जल्द ही एक नए भारत का निर्माण कर पाएंगे।

हम संविधान के मौलिक कर्त्तव्यों को देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि उनमें मानवीय जीवन के हर पहलू को अनुशासित करने की परिकल्पना की गई है।

हम सभी देशवासियों से यही अपेक्षा की जाती है कि हम संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों और उसकी संस्थाओं का आदर करें।

हम भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। हम देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करें। इसके साथ ही हम वैज्ञानिक सोच विकसित करते हुए अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठता हासिल करें।

संविधान ने जहां एक तरफ मौलिक अधिकारों के रूप में हमें पर्याप्त आजादी और शक्तियां दी हैं, वहीं दूसरी तरफ संतुलन बनाते हुए मौलिक कर्त्तव्यों का निर्देश देकर हमें अनुशासित भी किया है। यह अनुशासन मौलिक अधिकारों द्वारा दी गई आजादी और शक्तियों के प्रयोग की एक जरुरी शर्त है।

मौलिक कर्त्तव्यों के पालन से राष्ट्र की अधिकांश समस्याओं का समाधान हो सकता है। चाहे वन और पर्यावरण के संरक्षण की बात हो, स्वच्छता की बात हो या प्रदूषण नियंत्रण की बात हो। भूमि, वन, झील, नदियाँ, जल और वन्य जीव जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण जैसी समस्याओं को सुलझाने की दिशा में भी आगे बढ़ा जा सकता है।

कर्त्तव्यों से विमुख होकर सिर्फ अधिकारों की बात करने से एक प्रकार का असंतुलन पैदा होता है।

इस असंतुलन के कारण देश के विकास में बाधाएं आती हैं और विकास की गति धीमी हो जाती है। जबकि अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन तो हमारे देश का मूल दर्शन है।

इसलिये, अब समय आ गया है कि हम सभी सांसद देश के सामने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करें, जहां अधिकारों के साथ-साथ हम अपने कर्तव्यों का स्मरण स्वयं भी करें और दूसरों को भी कराएं। अतः, आइये, हम सब संविधान दिवस को कर्त्तव्य पर्व के रूप में मनाएं।

संविधान में उल्लेख किये गए मौलिक कर्त्तव्य हमें उन आदर्शों व मूल्यों की याद दिलाते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हमें प्रेरणा दी, देश की संप्रभुता को बनाए रखने का दर्शन दिया, देश में समरसता की बयार चलायी।

हम अपने मौलिक कर्त्तव्यों का पालन करते हुए ऐसे लोकमत का निर्माण करें जहां हम अपनी जनता को मूल कर्तव्यों के प्रति जागरूक कर सकें और उसकी सोच को एक सकारात्मक मोड़ दे सकें।

आज संसद के दोनों सदनों के सभी दलों के प्रतिनिधि यहां उपस्थित हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इस बात पर आम राय बनाएं कि इस अनुच्छेद का पालन सिर्फ विवेकाधीन न रह जाए।

कोई भी राष्ट्र तभी सफल हो सकता है जब राष्ट्रीय मुद्दों पर सभी देशवासियों का सहयोग और सबकी सहभागिता होगी। संविधान के मौलिक कर्त्तव्यों का उद्देश्य भी यही है कि हम सब देशवासी देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका और भागीदारी निभाएं। तभी 'सबका साथ-सबका विकास' का सपना सच हो सकेगा।

साथियो, भारत का संविधान बस कुछ क़ानूनों और नियमों की एक लिखित किताब नहीं है। भारत का संविधान हमारे राष्ट्र की सामूहिक चेतना व आदर्शों और सामूहिक सपनों व आशाओं का प्रतिबिम्ब है।

इसलिए हमें संविधान को अपना पथ-प्रदर्शक बनाए रखना है। हमें संविधान का रचनात्मक उपयोग करते हुए एक नये भारत की नयी तस्वीर बनानी होगी और ये महान ज़िम्मेदारी हम सभी के कंधों पर है।

इसलिए आइए, आज इस गौरवपूर्ण अवसर हम भारतीय संविधान के दिखाए रास्ते पर चलते हुए एक नये भारत के निर्माण करने का संकल्प लें।

जय हिन्द।